178

हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

संख्याः इण्ड–बी–एफ(6)–11–2024–II तारीखः शिमला–2, 15.01. 2026

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड–बी–(एफ) 6–14/2014, तारीख 13 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2015 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) आठवां संशोधन नियम, 2026 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
नियम 2 का सशोधन।	2.	2. हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्;– "(ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से, ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकार नियमों के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित करे और वन भूमि के मामले में, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ) सक्षम प्राधिकारी होंगे।";
नियम 7 का सशोधन।	3.	उक्त नियमों के नियम 7 में "राज्य भू विज्ञानी" शब्दों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएगें।

नियम 10 का सशोधन।	4.	उक्त नियमों के नियम 10 में,– (क) उप–नियम (1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– "परन्तु वन भूमि के मामले में सम्बद्ध सहायक अरण्यपाल/वन परिक्षेत्र अधिकारी संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य सचिव होंगे तथा संबद्ध भू विज्ञानी या सहायक भू विज्ञानी अथवा खनन अधिकारी संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य होंगे; और (क) उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(3) संयुक्त निरीक्षण समिति, खान/खदान स्थल का निरीक्षण करेगी और अपनी संप्रेक्षण और संस्तुति राज्य भू विज्ञानी को भेजेगी तथा वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग को भेजेगी। यदि खनन पटटे के लिए आवेदित क्षेत्र सरकारी भूमि में आता है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को आकृष्ट करता हो तो रिपोर्ट सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।"।
नियम 15 का सशोधन।	5.	उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(1) आवेदक, पट्टा विलेख के निबन्धन और शर्तों की देय अनुपालना के लिए यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल के पक्ष में सम्यक् रूप से गिरवी रखी गई सावधि जमा प्राप्ति (एफ डी आर) के रूप में प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रकम प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा"।
नियम 17 का सशोधन।	6.	उक्त नियमों के नियम 17 के स्थान पर उप–नियम (1) निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(1) संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किए गए संप्रेषण और संस्तुतियों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा और वन भूमि के

		मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा आवेदक के पक्ष में, खनन् पट्टा प्रदान करने हेतु सम्बद्ध विभागों से अपेक्षित पर्यावरण और अन्य क्लिअॅरेन्स (मंजूरियां) प्राप्त करने तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु आशय–पत्र जारी किया जाएगा। आशय–पत्र धारण करने वाला, उपरोक्त अवधि मे अपेक्षित अनापत्ति प्राप्त करने में असफल रहने की दशा (मामले) में, आशय–पत्र की अवधि का और विस्तार का विनिश्चय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आशय–पत्र धारक द्वारा अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए दिए गए कारणों और प्रगति के पुनर्विलोकन करने के बाद किया जाएगा।"
नियम 19 का सशोधन।	7.	उक्त नियमों के नियम 10 के उप–नियम (1) में,– (क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(ख) रॉयलेटी स्वामित्व का परिकलन करने हेतु पट्टेदार, पूर्ववर्ती कलैण्डर मास में पट्टा क्षेत्र से निकाले गये और भेजे गये गौण खनिज (खनिजों) की कुल मात्रा और इसका मूल्य दर्शाती (देती) विवरणी और खनिज आधारित उद्योग की दशा में, मासिक विद्युत खपत बिल और अन्य वांछित ब्यौरे भी खनन कार्यालय को या वन मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल को प्ररूप–'छ' में प्रत्येक मास की दस तारीख तक प्रस्तुत करेगा। यदि पट्टेदार, मास की दस तारीख तक पूर्ववर्ती मास के लिए देय रॉयलेटी जमा नहीं करवाता है तो मास की दस तारीख के पश्चात् व्यतिकम अवधि के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा; और (ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(ग) पट्टेदार, गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गये गौण खनिज (खनिजों की मात्रा और मूल्य, नियोजित नियमित श्रमिकों (पुरूष और महिलाएं पृथक्तः) की औसत संख्या और कार्य दिवसों की संख्या ओर

		उन्हें पृथकतः संदत्त की गई मजदूरी से सम्बन्धित सूचना देती विवरणी को प्ररूप–'ज' में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक, निदेशक या यथास्थिति सम्बद्ध खनन अधिकारी या प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भी प्रस्तुत करेगा;"।
नियम 23 का सशोधन।	8.	उक्त नियमों के नियम 10 के उप–नियम (1) में,– (क) उप–नियम (1)में परन्तुक स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "परन्तु वन भूमि की दशा में खनिज रियायत संविदा प्ररूप में प्रदान करने हेतु प्रधान मुख्य अरण्यपाल सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा संविदा की अवधि अधिकतम पन्द्रह वर्ष तक बढाई जा सकेगी।"। (ख) उप–नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(4) करार विलेख सफल बोलीदाता या निविदाकार द्वारा प्ररूप–'ट' में निदेशक और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास निष्पादित किया जाएगा और खनन प्रचालन करार विलेख के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।" (ग) उप–नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(क) अस्सी हॉर्स पावर तक बैकहो के साथ टायर माउंटेड लोडर की सहायता से नदी तल से खनिज का संग्रहण/उठाव यांत्रिक खनन् नहीं माना जाएगा और ऐसे लोडर का उपयोग, निदेशक की और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा अनुज्ञा से ही प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस और प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् अनुज्ञात किया जाएगा। यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल निम्नलिखित निबंधन शर्तों के अधिन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगा:– (i) केवल खनिजों के संग्रहण और उठाव की ही अनुमति होगी;

(ii) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया ज़ाएगा;

(iii) खनिज का संग्रहण वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा;

(iv) यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(v) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का समपहरण हो जाएगा।

(ख) उत्खनक द्वारा, नदी तल से खनिजों का उत्खनन/खुदाई यान्त्रिक खनन के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए खनिज रियायत धारक को प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिश्ट शुल्क और प्रतिभुति जमा करने के पश्चात्) यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल से अनुज्ञा लेने से पूर्व सम्बन्द्ध विभागों से समस्त आवश्यक कानूनी अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।) यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन ऐसी अनुज्ञा जारी कर सकेगाः—

(i) जल के प्राकृतिक बहाव को बाधित नहीं किया जाएगा;

(ii) खनिज का उत्खनन/खुदाई, अनापत्ति में नियत शर्तों के अनुसार वैज्ञानिक रीति से की जाएगी;

(iii) यथास्थिति, निदेशक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा अधिरोपित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(iv)ऐसी अनुज्ञा प्रदान करते समय अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अनुज्ञा के रद्दकरण से उसकी प्रतिभूति की रकम का सम्पहरण हो जाएगा।

(ग) पट्टाधारक, भूवैज्ञानिक खंड (विंग) या यथास्थिति प्रधान मुख्य अरण्यपाल की अनुज्ञा से और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस तथा प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् ढलान में पहाड़ी उत्खनक का

183

		उपयोग कर सकेगा।",
नियम 25 का प्रतिस्थापन।	9.	उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "25 नीलामी या निविदा का नोटिस.–निदेशक या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा नीलामी या संविदा निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएगी:– (i) निदेशक, सम्बद्ध प्रधान मुख्य अरण्यपाल, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), सम्बद्ध वन मण्डलाधिकारी, खनन अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और जहां खान/खदान अवस्थित है, के क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होना चाहिए, में प्रकाशित करके; (ii) राजपत्रा, हिमाचल प्रदेश में नीलामी या निविदा की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व नीलामी के नोटिस के प्रकाशन द्वारा । नीलामी या निविदा की एक प्रति क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण को जहां खान अवस्थित है, व्यापक प्रचार के लिए भेजी जाएगी; (iii) नीलामी या निविदा के नोटिस में स्थान, तारीख, समय और पद्धति सहित अग्रिम धन तथा नीलामी या संविदा के संदाय की पद्धति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विशिष्टि अन्तर्विष्ट होगी। खान/खदान का ब्यौरा, संविदा में देना होगा, संविदा की अवधि और आरक्षित मूल्य, अग्रिम धन, नीलामी या संविदा के निबन्धन और शर्तें, खान की अवस्थिति तथा अन्य सुसंगत सूचना की बाबत विस्तृत विशिष्टियां राज्य भू–विज्ञानी और सम्बद्ध खान अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होगी; और (iv) संविदा के निबंधन और शर्तें तथा विशिष्टियां नीलामी के समय आशयित बोलीदाताओं को पढकर सुनाई जाएंगी। निविदा की दशा

		में, संविदा के निबन्धन, शर्तें और विशिष्टियां निविदा के प्ररूप के साथ संलग्न की जाएंगी ।"।
नियम 26 का सशोधन।	10.	उक्त नियमों के नियम 26 के उप नियम (6) के पश्चात परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:– "परन्तु यदि निदेशक या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल का समाधान हो जाता है कि 'आशय पत्र' का धारक विभिन्न अनुमतियों को प्राप्त करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं है तो वह अवधि को एक और वर्ष के लिए बढा सकेगा। यदि 'आशय पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय पत्र' की अवधि में विस्तार करने का विनिश्चय केवल सरकार द्वारा ही किया जाएगा और यदि 'आशय पत्र' का धारक विस्तारित अवधि में भी अपेक्षित अनुमति (यों) को प्राप्त करने में असफल रहता है तो 'आशय पत्र' प्रत्याहृत कर दिया जाएगा तथा इस नियम के उप नियम (3) के अधीन निक्षिप्त (जमा) प्रतिभूति की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी और क्षेत्र की पुनः नीलामी की जाएगी या पुनः निविदा मांगी जाएगी।"
नियम 27 का सशोधन।	11.	उक्त नियमों के नियम 27 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:– "(1) प्रत्येक निविदा, निविदाकार के सुसंगत ब्यौरों सहित लिखित बन्द लिफाफे में, निदेशक या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।"
नियम 34 का सशोधन।	12.	उक्त नियमों के नियम 34 के उप नियम (ix) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:– "(ix) वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनासेप प्रमाण–पत्र लिए बिना वन भूमि सहित किसी अन्य भूमि में, जिसमें वृक्ष हों, कोई खनन

		अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;"।
नियम 57 का संशोधन।	13.	उक्त नियमों के नियम 57 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— "(2) यदि खनन प्रचालन उप–नियम (1) के अधीन यथा निर्दिष्ट खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, राज्य भू–विज्ञानी या भू–विज्ञानी या सहायक भू विज्ञानी या यथास्थिति, प्रधान मुख्य अरण्यपाल या खनन अधिकारी समस्त या किन्हीं खनन प्रचालनों के स्थगन करने के लिए आदेश परित कर सकेगा और केवल ऐसे प्रचालनों के अनुज्ञा–पत्र प्रवर्तन में रहेगें जो उक्त खनन योजना या पट्टा विलेख या करार विलेख के अधीन खान में परिकल्पित शर्तों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हों।"।
चौथी अनुसूची का संशोधन	14.	उक्त नियमों में संलग्न चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

चौथी अनुसूची

हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन्, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 के विभिन्न उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन

क्रम संख्या	नियम	सीमा	प्राधिकृत अधिकारी	सीमा
1.	7 और 16 (2)	खनन पट्टा प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन को प्राप्त करने की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी/प्रधान मुख्य अरण्यपाल	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
2.	8 (3)	आवेदन को अभि–स्वीकृति की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी/प्रधान मुख्य अरण्यपाल	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
3.	9.	खनन पट्टे हेतु प्राथमिकता	राज्य भू–विज्ञानी/प्रधान	समस्त हिमाचल

188

				सम–नुदेशित करने की शक्ति	मुख्य अरण्यपाल	प्रदेश राज्य में
		4.	9 (4)	खनन पट्टे हेतु, आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिए इंकार	1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतु, राज्य भू–विज्ञानी और 1.5 हैक्टेयर से 3.0 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेशक उद्योग। वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
		5.	17	आशय पत्र जारी करने की शक्ति	1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतु, राज्य भू–विज्ञानी और 1.5 हैक्टेयर क्षेत्र से 3.0 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेशक उद्योग। वन भूमि के मामले में प्रधान मुख्य अरण्यपाल	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
		6.	17.	आशय पत्र जारी करने और खनन पट्टा करने की शक्ति	1.5 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हेतु, राज्य भू–विज्ञानी और 1.5 हैक्टेयर से 3.0 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए निदेशक उद्योग।	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
		7.	23(2) 26(6) 27(7)	सरकार और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल	सरकार और वन भूमि की दशा में प्रधान मुख्य अरण्यपाल	समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में
		8.	33	खनिज को उठाने/उसका परिवहन करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति	खनन अधिकारी प्रतिकार्य एक बार में (एक समय पर) 10,000 मीट्रिक टन तक और 20,000 मीट्रिक टन से अनधिक तक प्रतिमास।	सम्बद्ध खनन अधिकारी की अधिकारिता के भीतर।

					राज्य भू–विज्ञानी 30,000 मीट्रिक टन तक प्रतिमास। निदेशक उद्योग 30,000 से अधिक और 50,000 मीट्रिक टन तक प्रति मास और 50,000 मीट्रिक टन से अधिक राज्य सरकार द्वारा।	सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में। सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में।"।
		9.	57 (3) और 71	शिकायत दर्ज करने की शक्ति	राज्य भू–विज्ञानी/प्रधान मुख्य अरण्यपाल और खनन अधिकारी	उनकी अपनी–अपनी आधिकारिता में
		10.	63	प्रारूप 'ढ' हस्ताक्षरित करने की शक्ति	खनन अधिकारी और प्रधान मुख्य अरण्यपाल	उनकी अपनी–अपनी आधिकारिता में

आदेश द्वारा,

आर. डी. नज़ीम, भा.प्र.से.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठाकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2, 15.01. 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. प्रधान अरण्यपाल, वन बल प्रमुख, (HoFF) हिमाचल प्रदेश, शिमला–1.
3. निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
4. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
5. राज्य भू–विज्ञानी/भू–विज्ञानी, ज़ोन I, II,III & IV, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.
6. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त खनि अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
9. गार्ड फाईल।

(वन्दना)
अवर सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

***

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II(F)6-11/2024-II, dated 15.01.26 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Industries

No. Ind-II(F)6-11/2024-II Dated: 15 January, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 notified vide this department's notification No. Ind-II(F)6-14/2014, dated 13.03.2015 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 21.03.2015,namely:-

Short title and commencement.	1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Eighth Amendment Rules, 2026. (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Amendment of rule 2.	2.	In rule 2 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 (hereinafter referred to as 'said rules'), in sub-rule (1), for clause (h), the following shall be substituted, namely:- "(h)'Competent Authority' means such authority as the Government may declare to be the Competent Authority for the purpose of these rules and in case of Forest Land, the Principle Chief Conservator of Forests (PCCF), Himachal Pradesh State Forest Department shall be the Competent Authority;".

190

Amendment of rule 7.	3.	In rule 7 of the said rules, for the word "State Geologist", the word "Competent Authority" shall be substituted.
Amendment of rule 10.	4.	In rule 10 of the said rules,- (a) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in case of forest land, the concerned Assistant Conservator of Forest/ Range Forest Officer shall be the Member Secretary and the concerned Geologist or Assistant Geologist or Mining Officer shall be member of the Joint Inspection Committee; and (b) for sub-rule (3) the following shall be substituted, namely:- "(3) The Joint Inspection Committee shall appraise the mine/quarry site and send its observation and recommendation to the State Geologist and in case of Forest Land, to the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF), Himachal Pradesh State Forest Department. In case the area applied for mining lease falls in Government land or attracts the provisions of the Forest Conservation Act, 1980, the report shall be countersigned by the Divisional Forest Officer concerned.".
Amendment of rule 15.	5.	In rule 15 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:- "(1) The applicant shall deposit as security a sum as specified in the First Schedule in the shape of fixed deposit receipt (FDR) duly pledged in favour of the Director or PCCF as the case may be, for due observance of terms and conditions of Lease deed.".
Amendment of rule 17.	6.	In rule 17 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:- "(1) On the basis of observations and recommendations made by the Joint Inspection Committee, Letter of Intent

		for a term of two years shall be issued by the Competent Authority and in case of forest land, by the PCCF in favour of applicant for obtaining requisite environmental and other clearances from concerned Departments and completion of other required formalities for the grant of mining lease. In case, the Letter of Intent holder fails to procure the requisite clearances in the above said period, the further extension of the period of Letter of Intent shall be decided by the Competent Authority after reviewing the reasons and progress made for obtaining requisite clearances by the Letter of Intent holder.".
Amendment of rule 19.	7.	In rule 19 of the said rules, sub-rule (1) (a) for clause (b), the following shall be substituted, namely:- "(b) for calculating the royalty the lessee shall submit by the 10th of every month to the Mining office or PCCF in case of forest land, a return in Form-'G' giving the total quantity of minor mineral(s) raised and despatched from the leased area in the preceding calendar month and its value and in case of mineral based industry the monthly electricity consumption bill and other requisite details also. If the lessee does not deposit royalty due for the preceding month by 10th of month, 24% per annum simple interest shall be charged for the default period after 10th of month; and (b) for clause (c), the following shall be substituted, namely:- "(c) the lessee shall also furnish by the 15th April, every year to the Director, to the concerned Mining Officer and also to the PCCF as the case may be, a statement giving information in Form-'H' regarding quantity and

		value of minor mineral(s) obtained during the last financial year, average number of regular labourers employed (men and women separately) and number of days worked and wages paid to them separately;".
Amendment of rule 23.	8.	In rule 23 of the said rules;- (a) in sub-rule (1), for the proviso the following shall be substituted, namely:- "Provided that in the case of forest land, the PCCF shall be the competent authority for the grant of mineral concession in the form of contract and the period of contract may be extended upto a maximum period of fifteen years."; (b) for sub-rule (4), the following shall be substituted namely:- "The Agreement deed shall be executed by the successful bidder or tender with the Director and in case of forest land, with the PCCF or any other authorized officer in the Form-'K' and the mining operations shall be carried out in accordance with the terms and conditions of the agreement deed."; (c) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:- "(a) The collection/lifting of mineral from the riverbeds with the help of tyre mounted loader with backhoe upto 80 Horse Power shall not be treated as mechanical mining and the use of such loader shall be allowed with the permission of Director and in case of forest land, by the PCCF after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director or the PCCF as the case may be may issue such permission under the following terms and conditions:-

193

(i) Only collection and lifting of the mineral is allowed.

(ii) Natural flow of the water shall not be disturbed;

(iii) The collection of mineral shall be done in a scientific manner;

(iv) Any other condition imposed by the Director or PCCF as the case may be;

(v) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and forfeiture of security amount thereof:

(b) The excavation /digging of minerals from riverbed with excavator shall be treated as mechanical mining for which the mineral concession holder shall obtain all the necessary statutory clearances from concerned departments prior to the permission from the Director or the PCCF as the case may be, after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE. The Director or the PCCF as the case may be, may issue such permission under the following terms and conditions:-

(i) Natural flow of the water shall not be disturbed;

(ii) The excavation/digging of mineral shall be done in a scientific manner as per the conditions stipulated in the clearances;

(iii) Any other condition imposed by the Director or the PCCF as the case may be,;

(iv) Any violation of terms and conditions imposed while granting such permission shall result in cancellation of permission and

		forfeiture of security amount thereof. (c) The lease holder may use excavator in hill slope mining with the permission of Geological Wing or the PCCF as the case may be, after depositing fee and security as specified in the FIRST SCHEDULE.".
Substitution of rule 25.	9.	For rule 25 of the said rules, the following shall be substituted, namely:- "25. Notice of Auction or Tender.-The auction or tender shall be notified by the Director or the PCCF as the case may be, in the following manner:- (i) on the notice Board of the Director, PCCF, concerned Sub-Divisional Officer (Civil), concerned Divisional Forest Officer, the Mining Officer and at least in two newspapers one being in Hindi having wide circulation in the area, where the mine/quarry is situated; (ii) In the Himachal Pradesh Government Gazette by publishing the auction notice at least 30 days before the date of auction or tender. A copy of the auction or tender notice shall be sent to the local authority having jurisdiction over the area, where the mine is situated for giving wide publicity. (iii) the notice of auction or tender shall contain a brief description regarding the place, date, time and method including earnest money and mode of payment thereof of auction or tender. The detail of mine/quarry to be given on contract, the period of contract and the detailed description about the reserve value, earnest money, terms and conditions of the auction or tender, location of mine and other relevant information shall be available in the Office of the State Geologist, PCCF as the case may be and

		Mining Officer concerned. (iv) The terms and conditions and description of the contract shall be read out for the intending bidders at the time of auction. In case of tender, the terms, conditions and the descriptions of the contract shall be annexed with the tender form.".
Amendment of rule 26	10.	In rule 26 of the said rules, for proviso after sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:- "Provided that if the Director or the PCCF as the case may be, is satisfied that the holder of 'Letter of Intent' is not responsible for the delay in procuring the various clearances, he shall extend the period for further one year. In case, the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances in the extended period, the decision shall only be taken by the Government to extend the period of 'Letter of Intent' and in case the holder of 'Letter of Intent' fails to procure the requisite clearances even in the extended period, the 'Letter of Intent' shall be withdrawn and security amount deposited under sub-rule (3) of this rule shall be forfeited to the Government and the area shall be put to re-auction or re-tendering.".
Amendment of rule 27.	11.	In rule 27 of the said rules, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:- "Every tender shall be submitted to the Director or the PCCF, as the case may be, or any other officer authorized in this behalf, in a sealed cover super scribed with the relevant details of the tenderer.".
Amendment of rule 34.	12.	In rule 34 of the said rules, sub-rule (ix), the following shall be substituted, namely:- "no mining shall be allowed in forest land without no objection certificate (NoC) from the Competent

		Authority of Forest Department including any other land where there is growth of trees;".
Amendment of rule 57.	13.	In rule 57 of the said rules, sub-rule (2) shall be substituted, namely:- "If the mining operations are not carried out in accordance with the mining plan or Lease Deed or Agreement Deed as referred under sub-rule (1), the State Geologist or Geologist or Assistant Geologist or Mining Officer or the PCCF as the case may be, may pass an order for suspension of all or any of the mining operation and permit continuance of only such operation as may be necessary to restore the conditions in the mine envisaged under the said mining plan or Lease Deed or Agreement Deed.".
Amendment of FOURTH SCHEDULE.	14.	For FOURTH SCHEDULE appended to the said rules the following shall be substituted, namely:-

FOURTH SCHEDULE

DELEGATION OF POWERS UNDER VARIOUS PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION) AND MINERALS (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) RULES, 2015

Sr. No.	Rule	Limit	Authorised Officers	Limit
1.	7 & 16(2)	Power to receive application of grant/ renewal of mining lease.	State Geologist/PCCF	Throughout State of Himachal Pradesh
2.	8(3)	Power to Acknowledge Application	State Geologist/PCCF	Throughout State of Himachal Pradesh
3.	9	Power to assign priority for mining lease	State Geologist/PCCF	Throughout State of Himachal Pradesh
4.	9(4)	Power to refuse whole	State Geologist for an area	Throughout State of

197

				or part of area applied for mining lease.	upto 1.5 Hects. Director of Industries for an area above 1.5 Hects. to 3.0 Hects. PCCF in case of forest land	Himachal Pradesh
		5.	17	Power to issue Letter of Intent	PCCF in case of Forest Land State Geologist for an area upto 1.5 Hects. Director of Industries for an area above 1.5 Hects. to 3.0 Hects.	Throughout State of Himachal Pradesh
		6.	17	Power to issue Letter of Intent & grant of mining lease	State Geologist for an area upto 1.5 Hects. Director of Industries for an area above 1.5 Hects. to 3.0 Hects.	Throughout State of Himachal Pradesh
		7.	23(2) 26(6) 27(7)	Power to issue Letter of Intent	Government and PCCF in case of Forest Land	Throughout State of Himachal Pradesh
		8.	33	Power to grant permission for lifting/ transportation of mineral.	Mining Officer upto 10,000 Metric Tonnes per month at a time and not exceeding 20,000 MT per work. State Geologist upto 30,000 Metric Tonnes per month.	Within the jurisdiction of concerned Mining office. Throughout the State of Himachal Pradesh.

198

					Director of Industries more than 30, 000 and up to 50,000 metric Tonnes per month and above 50,000 Metric Tonnes by the Government.	Throughout the State of Himachal Pradesh.
		9.	57(3) & 71	Power to lodge complaints	State Geologist, PCCF and Mining Officer	In their respective jurisdiction
		10.	63	Power to sign Form 'N'	Mining Officer and PCCF	In their respective jurisdiction

By order,

R.D Nazeem, IAS
Addl. Chief Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Ind-II(F)6-11/2024-II Dated: 15 January, 2026

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh State Forest Department, Shimla-1.
3. The Director of Industries, H.P. Shimla-2.
4. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
5. The State Geologist/Geologists Zone I, II, III and IV, Himachal Pradesh, Shimla-9.
6. All the General Manager, District Industries Centre in Himachal Pradesh.
7. All the Mining Officers in Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printer & Stationary, HP Shimla-05.
9. Guard File.

(Vandana)
Under Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh

***